भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3432

उत्तर देने की तारीख 16.12.2024

झारखंड के धनबाद हेतु सांस्कृतिक योजनाएं

3432. श्री दुलू महतो :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम हैं और इस संबंध में विशेषकर धनबाद में क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का झारखंड में स्थानीय कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजनाएं तैयार करने का विचार है ताकि विशेषकर धनबाद के कलाकारों को आर्थिक सहायता मिल सके;

(ग) झारखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन किस प्रकार समन्वय करते हैं;

(घ) धनबाद में यह समन्वय किस प्रकार कार्य कर रहा है; और

(ड.) क्या सरकार झारखंड की स्थानीय कलाओं और हस्तशिल्पों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कोई विपणन योजना आरंभ कर रही है अथवा चला रही है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री

(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय झारखण्ड राज्य सहित पूरे देश में सभी राज्यों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों का संचालन करता है। इनमें से कई स्कीमें देश की कला, संस्कृति और मूर्त/अमूर्त विरासत के संवर्धन और संरक्षण के लिए पात्र सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। इन स्कीमों का संक्षिप्त ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

झारखण्ड राज्य में विभिन्न स्कीमों के तहत संगठनों/व्यक्तियों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय ''राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम [एनएचडीपी]'' ''समग्र हस्तशिल्प क्लस्टर विकास स्कीम [सीएचसीडीएस]'' का कार्यान्वयन करता है और विपणन, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचनात्मक और तकनीकी सहायता, अनुसंधान, विकास सहायता आदि के माध्यम से संपूर्ण सहायता भी प्रदान करता है जिसका लाभ झारखण्ड राज्य सहित देश भर के कारीगरों को प्राप्त होता है।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र (ईजेडसीसी), कोलकाता की स्थापना की है, जो झारखण्ड राज्य सहित अपने सदस्य राज्यों की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है। ईजेडसीसी, कोलकाता द्वारा वर्ष भर झारखण्ड सहित अपने सदस्य राज्यों के स्थानीय प्रशासन के समन्वय से कई सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित किए जाते हैं। ईजेडसीसी, कोलकाता द्वारा वर्ष 2023 और 2024 में झारखण्ड के स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों/कार्यकलापों की सूची निम्नानुसार है :

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	तारीख	स्थान
1.	अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- योग फॉर वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग	21 जून, 2023	साउथ रेलवे कॉलोनी, ग्राउंड, रांची झारखण्ड
2.	शास्त्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव	3 जुलाई, 2023	परिणय वाटिका देवघर, झारखण्ड
3.	लोक महोत्सव	3-4 सितंबर, 2023	रशिक नगर, ग्राम पंचायत ग्राउंड, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड
4.	अमृत कलश यात्रा	28 सितंबर से 13 अक्तूबर, 2023	झारखण्ड (100 स्थानों में)
5.	कथक नृत्य पर तीन दिवसीय कार्यशाला	5-7 नवंबर, 2023	पात्रा गांव, दुमका जिला, झारखण्ड
6.	सारंगी बादन लोक संगीत - गुरु शिष्य परंपरा	अप्रैल 2023 – मार्च 2024	रांची झारखण्ड
7.	शिकारी नृत्य – लोक नृत्य – गुरु शिष्य परंपरा	अप्रैल 2023 – मार्च 2024	सरायकेला खरसावां झारखण्ड

इसके अतिरिक्त, झारखण्ड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए ईजेडसीसी द्वारा निम्नलिखित वृत्तचित्र बनाए गए हैं :

क्र. सं.	वृत्तचित्र का नाम
i.	नटुआ
ii.	झारखण्ड के लोक नृत्य
iii.	संथाल कठपुतली कला
iv.	सोहराई खोवर

(ड.): संस्कृति मंत्रालय विश्व पटल पर झारखण्ड राज्य सहित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और भारत की छवि को अनुकूल रूप से संवर्धित करने के लिए ''वैश्विक भागीदारी स्कीम'' नामक स्कीम का कार्यान्वयन करता है। स्कीम के तहत विदेश में 'भारत महोत्सव' में लोक/शास्त्रीय/अर्द्ध शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य और रंगमंच, कठपुतली कला सहित लोक कला, शास्त्रीय और पारंपरिक नृत्य, प्रयोगात्मक/समकालीन नृत्य, थिएटर आदि जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से कलाकार प्रस्तुती देते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने विभिन्न कला रूपों के अंतर्गत कलाकारों/समूहों को पैनलबद्ध किया है और विदेश में महोत्सवों में प्रस्तुति देने के लिए इस पैनलबद्ध सूची से कलाकारों का चयन किया जाता है।

*****

अनुलग्नक-I

'झारखंड के धनबाद हेतु सांस्कृतिक योजनाएं' के संबंध में दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3432 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

1. गुरु-शिष्य परंपरा के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

इस स्कीम का उद्देश्य नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच आदि जैसे मंचकला कार्यकलापों की सभी शैलियों तथा गुरु-शिष्य परंपरा के अनुरूप नियमित आधार पर कलाकारों को उनके संबंधित गुरु द्वारा प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम के अनुसार, रंगमंच क्षेत्र में 1 गुरु और अधिकतम 18 शिष्यों को सहायता और संगीत तथा नृत्य के क्षेत्र में 01 गुरु और अधिकतम 10 शिष्यों को सहायता प्रदान की जाती है। गुरु के लिए सहायता की राशि 15000/- रु. प्रति माह है और शिष्य के लिए यह राशि 2000-10000/- रुपये प्रति माह (कलाकार की आयु पर निर्भर) है।

2. कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम: इस स्कीम के निम्नलिखित उप घटक हैं :

i. **राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य पूरे देश में कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संगठनों को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना है। यह अनुदान उन संगठनों को दिया जाता है जिनका एक सुगठित प्रबंधन निकाय हो, जो भारत में पंजीकृत हों, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व के हों और जिनके पास पर्याप्त कार्यबल हो और जिन्होंने विगत पांच वर्षों में से 3 वर्षों के दौरान सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यय किया हो। इस स्कीम के तहत सहायता की राशि 1 करोड़ रुपये तक है जिसे विशेष मामलों में 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

ii. **सांस्कृतिक समारोह और निर्माण अनुदान (सीएफपीजी)**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों/न्यासों/विश्वविद्यालयों आदि को संगोष्ठियां, सम्मेलन, शोध कार्य, कार्यशालाएं, महोत्सव, प्रदर्शनियां, विचार-गोष्ठियां, नृत्य निर्माण, नाटक-रंगमंच, संगीत आदि की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सीएफपीजी के अंतर्गत 5 लाख रुपये का अधिकतम अनुदान प्रदान किया जाता है जिसे विशेष परिस्थितियों में 20.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

iii. **हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य दृश्य-श्रव्य कार्यक्रमों के माध्यम से शोध, प्रशिक्षण तथा प्रचार-प्रसार द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना एवं परिरक्षित करना है। हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसी संगठन के लिए निधियन की राशि प्रति वर्ष 10.00 लाख रुपये होती है जिसे विशेष मामलों में 30.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

iv. **बौद्ध/तिब्बती संगठनों के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक के अंतर्गत बौद्ध/तिब्बती संस्कृति एवं परंपरा के प्रसार और वैज्ञानिक विकास तथा संबंधित क्षेत्रों में शोध में कार्यरत बौद्ध मठों सहित, स्वैच्छिक बौद्ध/तिब्बती संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसी संगठन को 30.00 लाख रुपये प्रति वर्ष तक निधियन प्रदान किया जाता है जिसे विशेष मामलों में 1.00 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

V. स्टूडियो थियेटर सहित निर्माण अनुदान हेतु वित्तीय सहायता

इस स्कीम घटक का उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों आदि को सांस्कृतिक अवसंरचना के सृजन (अर्थात स्टूडियो थियेटर, सभागार, अभ्यास कक्ष, क्लासरूम आदि) और वैद्युत, वातानुकूलन, ध्वनिकी, प्रकाश एवं ध्वनि प्रणालियों आदि जैसी सुविधाओं के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत महानगरों में 50 लाख रुपये तक की राशि और अन्य शहरों में 25 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

vi **संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य सभी पात्र संगठनों को संबद्ध सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए दृश्य-श्रव्य अनुभव को संवर्धित करने हेतु परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि खुले/बंद क्षेत्रों/स्थानों पर नियमित आधार पर एवं महोत्सवों के दौरान लाइव प्रस्तुतियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जा सके। इस स्कीम घटक के अंतर्गत, लागू शुल्कों एवं करों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) सहित सहायता की अधिकतम राशि 5 वर्षों के लिए निम्नानुसार होगी- (i) ऑडियो : 1.00 करोड़ रुपये; (ii) ऑडियो + वीडियो : 1.50 करोड़ रुपये।

vii. **स्थानीय महोत्सव और मेले**

इस योजना का उद्देश्य संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सवों' के लिए सहायता प्रदान करना है।

3. **टैगोर सांस्कृतिक परिसरों (टीसीसी) के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता**

इस स्कीम घटक का उद्देश्य मंच प्रस्तुतियों (नृत्य, नाटक और संगीत) प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, साहित्यिक कार्यकलापों, ग्रीन रूम आदि के लिए सुविधाओं और अवसंरचना युक्त सभागार जैसे नए बड़े सांस्कृतिक स्थानों के सृजन के लिए गैर-सरकारी संगठनों, न्यासों, सोसाइटियों, सरकार द्वारा प्रायोजित निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों/निकायों, नगर निगमों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह स्कीम घटक मौजूदा सांस्कृतिक सुविधाओं (रबीन्द्र भवन, रंगशालाएं) आदि के जीर्णोद्धार, नवीकरण, विस्तार कार्य, परिवर्तन, स्तरोन्नयन, आधुनिकीकरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत किसी परियोजना के लिए आमतौर पर अधिकतम 15 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय वित्तीय सहायता, कुल अनुमोदित परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगी और कुल अनुमोदित परियोजना लागत का शेष 10 प्रतिशत प्राप्तकर्ता राज्य सरकार/एनजीओ द्वारा या पूर्वोत्तर क्षेत्र परियोजनाओं हेतु संबंधित संगठन द्वारा वहन किया जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अतिरिक्त, केन्द्रीय सहायता और राज्य की हिस्सेदारी (समतुल्य हिस्सेदारी) का अनुपात 60:40 है।

4. **कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए छात्रवृत्ति एवं अध्येतावृत्ति की स्कीम :** इस स्कीम में निम्नलिखित तीन (03) घटक हैं:

i. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में 25 से 40 वर्ष (कनिष्ठ) के आयु वर्ग और 40 वर्ष से अधिक आयु के उत्कृष्ट व्यक्तियों (वरिष्ठ) को प्रत्येक बैच वर्ष में सांस्कृतिक शोध के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रुपये प्रतिमाह और 20,000/- रुपये प्रतिमाह की 400 तक अध्येतावृत्तियां (200 कनिष्ठ और 200 वरिष्ठ) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

ii विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

प्रत्येक बैच वर्ष में 400 तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के उत्कृष्ट प्रतिभावान युवा कलाकारों को भारतीय शास्त्रीय संगीत; भारतीय शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच, मूक अभिनय, दृश्य कला, लोक, पारंपरिक और स्वदेशी कलाओं तथा सुगम

शास्त्रीय संगीत आदि के क्षेत्र में भारत में उन्नत प्रशिक्षण के लिए 2 वर्षों के लिए 5000/- रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति चार बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

iii. सांस्कृतिक शोध के लिए टैगोर राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति

इस स्कीम का उद्देश्य विद्वानों/शिक्षाविदों को इन संस्थाओं के साथ आपसी हित की परियोजनाओं पर संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं और देश में चिन्हित अन्य सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ स्वयं को संबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करते हुए संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना और सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए 15 तक अध्येतावृत्तियां (80,000/-रुपये प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) और 25 तक छात्रवृत्तियां (50,000/-रु. प्रतिमाह + आकस्मिक भत्ता) प्रदान की जाती हैं। यह अध्येतावृत्ति चार (04) बराबर छमाही किस्तों में जारी की जाती है।

5. **वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता**

इस स्कीम का उद्देश्य 60 वर्ष और उससे अधिक आयु तथा 72,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम वार्षिक आय वाले उन वयोवृद्ध कलाकारों को 6000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्होंने कला, साहित्य आदि के विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर, यह वित्तीय सहायता उनके पति/पत्नी को अंतरित की जाएगी।

अनुलग्नक-II

'झारखंड के धनबाद हेतु सांस्कृतिक योजनाएं' के संबंध में दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3432 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

झारखंड राज्य में विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत संगठनों/व्यक्तियों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

सांस्कृतिक समारोह एवं निर्माण अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	झारखंड के जिले का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		संगठनों की सं.	जारी निधि	संगठनों की सं.	जारी निधि	संगठनों की सं.	जारी निधि
1	बोकारो	0	0	1	2.62	1	0.87
2	धनबाद	0	0	2	1.50	2	2.19
3	पूर्वी सिंहभूम	2	5.25	3	3.87	0	0
4	गुमला	0	0	0	0	1	4.00
5	सरायकेला खरसावां	2	4.50	4	3.64	3	1.69
6	सिमडेगा	0	0	1	2.63	0	0
7	रांची	2	1.62	0	0	0	0
कुल		**6**	**11.37**	**11**	**14.26**	**7**	**8.75**

संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्ति प्रदान करने की स्कीम

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	झारखंड के जिले का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		लाभार्थियों की सं.	जारी निधि	लाभार्थियों की सं.	जारी निधि	लाभार्थियों की सं.	जारी निधि
1	बोकारो	02	3.60	-	-	03	5.40
2	देवघर	02	3.60	-	-	-	-
3	धनबाद	01	1.20	-	-	-	-
4	दुमका	-	-	-	-	01	1.20
5	पूर्वी सिंहभूम	02	3.60	-	-	03	3.00
6	गुमला	01	0.60	-	-	-	-
7	हजारीबाग	-	-	-	-	01	1.20
8	कोडरमा	-	-	-	-	01	0.60
9	रांची	07	8.40	-	-	07	9.60
10	सरायकेला	08	15.00	02	1.20	08	9.60
कुल		**23**	**36.00**	**2**	**1.20**	**24**	**30.6**

विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति की स्कीम

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	झारखंड के जिले का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		लाभार्थियों की सं.	जारी निधि	लाभार्थियों की सं.	जारी निधि	लाभार्थियों की सं.	जारी निधि
1	धनबाद	03	0.90	05	1.50	10	3.00
2	पूर्वी सिंहभूम	-	-	-	-	02	0.60
3	गोड्डा	-	-	-	-	01	0.30
4	पलामु	-	-	-	-	01	0.30
5	रामगढ़	03	0.90	01	0.30	-	-
6	रांची	-	-	-	-	02	0.60
7	सिमडेगा	-	-	02	0.60	07	2.10
8	पश्चिम सिंहभूम	02	0.60	-	-	01	0.30
कुल		**08**	**2.40**	**08**	**2.40**	**24**	**7.20**

गुरु शिष्य परंपरा के संवर्धन हेतु वित्तीय सहायता (रेपर्टरी अनुदान)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	झारखंड के जिले का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि	संगठनों की संख्या	राशि
1	बोकारो	1	8.58	1	10.56	4	23.48
2	रांची	1	12.96	8	47.70	7	53.14
3	गुमला	0	0.00	2	5.40	2	8.46
4	सिमडेगा	0	0.00	2	5.52	3	12.48
5	सरायकेला	0	0.00	0	0.00	2	3.08
कुल		**02**	**21.54**	**13**	**69.18**	**18**	**100.64**

वयोवृद्ध कलाकारों हेतु वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
		लाभार्थियों की सं.	जारी निधि	लाभार्थियों की सं.	जारी निधि	लाभार्थियों की सं.	जारी निधि
1	झारखंड	5	3.00	7	3.59	4	3.88

*****